न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 220/2010 (डूंगरपुर डिक्री)

1. सोमा पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. भीमा पुत्र सोमा डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. वाला पुत्र सोमा डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. ज्योति पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. धनजी पिता गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. शंकर पिता गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/2/1. श्रीमती बाबरी विधवा शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/2. जीवराज पुत्र शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/3. मुकेश पुत्र शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/4. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/5. चेतन पुत्र विधवा शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/6. श्रीमती सन्तु पुत्री शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2/7. श्रीमती तुलसी पुत्री शंकर डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. वेलजी पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. मणा पिता वेलजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. रमेश पिता वेलजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. शंकर पिता वेलजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. श्रीमती पूंजी पत्नी स्व0 भूरजी पुत्री वेलजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. वालजी पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

3/1. लालू पुत्र वालजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3/2. कान्तिलाल पुत्र वालजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3/3. श्रीमती नर्वद पत्नी वालजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4. लक्सी पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. चेला पुत्र लक्सी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4/2. कालू पुत्र लक्सी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5. मनजी पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6. शान्तिलाल पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

6/1. श्रीमती धनूडी पत्नी शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6/2. कालू पुत्र शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6/3. करमचन्द पुत्र शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6/4. सुखलाल पुत्र शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6/5. कालू पुत्र शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6/6. ईश्वर पुत्र शांन्तिलाल डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

7. भेमा पुत्र गांगजी डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

7/1. रमण पिता भेमा डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

7/2. मोहन पिता भेमा डामोर, जाति आदिवासी, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

8. तहसीलदार (भूमिधारी) चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
दिनांक 01.09.2010 प्र0सं0 103/08

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश पण्डा अभिभाषक रे. सं. 2/1, 4/1
3– श्री डी. सी. चौबीसा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
4– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

———::———

निर्णय **दिनांक 12–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के यहां रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्ट व तहसीलदार के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान गांगजी पिता खुमाजी डामोर के उत्तराधिकारी होकर वादी पत्र की कलम संख्या 1 अंकित सजरे अनुसार गांगजी के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 सोमा, वादी संख्या 2 ज्योति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता वेलजी हुए।

बन्दोबस्त संवत् 2008 मौजा पियोला में वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित कुल खेत 24 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा खाता संख्या 5 में गांगजी पिता खुमाजी के खातेदारी में अंकित हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 3 की कुल किता 33 रकबा 80 बीघा 1 बिस्वा भूमि बन्दोबस्त संवत् 2022 के खाता संख्या 38 में प्रतिवादी संख्या 1 सोमा के खाते में अंकित हुई। संवत् 2008 के बन्दोबस्त में कुल 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी, परन्तु इस भूमि से लगती हुई बिलानाम भूमि को काश्त कर शामिल किये जाने से संवत् 2022 में कुल 80 बीघा 1 बिस्वा भूमि हो गयी, जिसका अंकन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 गांगजी का बड़ा पुत्र होने भील रिवाज अनुसार भूमियां बड़े पुत्र के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का भी कब्जा काश्त है एवं आपसी समझौता कर बंटवाडे अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। अतएवं उक्त भूमियों में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 से 5 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांगजी के खाते में 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही थी, शेष 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को आवंटित हुई है इस प्रकार समस्त भूमि 80 बीघा 1 बिस्वा हो गयी है एवं प्रतिवादी के खाते में दर्ज हुई। गांगजी ने अपने जीवनकाल में उक्त 57 बीघा 18 बिस्वा का विभाजन कर दिया था, जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। प्रतिवादी को आवंटित 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी अकेले का कब्जा है।

मजीद जवाब में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के पिता गांगजी के खाते में 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही थी, जिसका गांगजी ने अपने जीवनकाल में विभाजन कर दिया था एवं पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। प्रतिवादी को आवंटित 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी अकेले का कब्जा है। यदि न्यायालय द्वारा मौके की जांच करायी जाकर जिस प्रकार पक्षकारान काबिज हैं, उस अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया संवत् 2008 में मौजा पियोला के खाता संख्या 5 में गांगजी पिता खुमा के नाम पैरा नंबर 2 में अंकित आराजियात दर्ज थी, जो संवत् 2022 में प्रतिवादी सोमा के खाते अंकित कर दी, जबकि वंशावली के अनुसार वादीगण भी हिस्सेदार हैं ? .....वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
3. आया वादीगण का हिस्सा कायम हो जाने पर बंटवाड़ा कराने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
4. आया गांगजी के खाते मात्र 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी, शेष 22 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी को आवंटित हुई थी ? .....प्रतिवादी स. 1
5. आया गांगजी ने बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर वादी प्रतिवादी को काबिज करा दिया जिससे अब दुबारा बंटवारा नहीं कराया जा सकता है ? .....प्रतिवादी स. 1
6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 6/2002 में उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 26–12–2002 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे विरूद्ध होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 249/2003 दर्ज करवाया गया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25–04–2008 को निर्णय पारित करते हुए यह प्रेक्षण किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 अस्वीकार किया है। इस निर्णय से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया न ही प्रार्थना पत्र के जवाब में आये अभिकथनों की पुष्टि ही सुनिश्चित की है। अतएवं प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस न्यायालय के उक्त प्रेक्षण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 103/2008 के रूप में दर्ज किया गया एवं दिनांक 23–04–2009 को आदेश 1 नियम 9 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर

संशोधित टाईटल प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया। दिनांक 19–11–2009 को संशोधित टाईटल में अंकित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः पक्षकारों को सुनकर अपने प्रकरण संख्या 103/2008 में दिनांक 01–09–2010 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए यह निर्णय पारित किया कि वर्तमान में सोमा के नाम दर्ज 75 बीघा 12 बिस्वा में वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के हिस्से में 19 बीघा 6 बिस्वा आयेगी, शेष जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयेगी। चालू जमाबन्दी में जो आराजी खसरा नंबर व रकबा दे रखा है उसमें से 57 बीघा 18 बिस्वा का रकबा अगल से छंटना संभव नहीं है। इसलिए सोमा के नाम जो वर्तमान में आराजी नंबर दर्ज है, उसमें से वादी संख्या 1 के हिस्से में 19 बीघा 6 बिस्वा, वादी संख्या 2 के हिस्से में 19 बीघा 6 बिस्वा तथा शेष सोमा के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार उक्त विवादित आराजी 75 बीघा 12 बिस्वा में हक व हिस्सा के आधार पर सहखातेदार दर्ज करके दावे का निस्तारण किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 103/2008 में दिनांक 01–09–2010 में पारित निर्णय व डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–09–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 एवं 4/1 की ओर से वकील श्री कमलेश पण्डा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/2 से 2/4, 3/1 से 3/3 व 4/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री डी. सी. चौबीसा उपस्थित हुए।

प्रकरण में वकील श्री डी. सी. चौबीसा ओर से दिनांक 25–11–2010 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 2/4 की ओर से क्रोस आब्जेक्शन आदेश 41 नियम 22 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 11–07–2018 को पक्षकारान द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो

पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट/क्रोस आब्जेक्शनकर्ता द्वारा अपनी क्रोस अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं क्रोस अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

सर्वप्रथम हम अपीलान्ट/प्रतिवादी की अपील पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादी के प्रमुख उजर यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी की साक्ष्य नहीं ली गयी है तथा प्रकरण सीधे ही बहस हेतु नियत कर दिया। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 19–08–2010 को साक्ष्य लेने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया व प्रकरण मूल वाद की बहस सुनी जाना मानकर बहस सुनी जाने का अंकन कर दिनांक 01–09–2010 को रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार कर लिया। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्य की गयी है तथा उनकी अनुपस्थित में वादी के बयान लिये गये जिनसे जिरह करने तक का अवसर प्रतिवादी को नहीं दिया गया है। वादीगण को उनके कब्जे वादी भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा अपीलान्ट को दे दी गयी तथा राजस्व रेकार्ड में उनका नाम भी अंकित हो गया, इस कारण अब उक्त भूमि बाबत् किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रहा, इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा वाद को जारी रखकर न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली। प्रतिवादी की तामिल सम्यक रूप से नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है तथा तनकी संख्या 3 का निस्तारण भी गलत किया है।

→ हमारे द्वारा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तो पाया कि इस अपील में अपीलान्ट द्वारा किसी अन्य गांव की भूमियों बाबत् विवेचन किया है, जो इस वाद की विषय वस्तु नहीं है, न ही जवाबदावे में इस बाबत् कोई कथन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने

जवाबदावे में सुस्पष्ट रूप से स्वीाकर किया गया है कि 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि गांगजी के समय की है तथा उसमें वादीगण का भी हिस्सा है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया है तो अब इस प्रकार के उजर सहमति जवाबदावे के बाद किये जाने का कोई आधार नहीं है। जवाबदावे की सहमति से पृथक किसी प्रकार का कोई अनुतोष अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को नहीं दिया गया है।

प्रकरण में जहां तक प्रतिवादी/अपीलान्ट की साक्ष्य का प्रश्न है, यह स्थिति सुस्पष्ट है कि जो तथ्य जवाबदावे में किये गये हैं, उसकी प्लीडिंग्स से ज्यादा अपीलान्ट कोई प्रूफ/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी के जवाबदावे की प्लीडिंग्स के आधार पर दावा डिक्री किया गया है, अतएवं अब सहमति के जवाबदावे से पृथक किसी साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जवाबदावे की प्लीडिंग्स को मानते हुए ही समस्त भूमि में से गांगजी की 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से ही वादीगण को उनका 1/3, 1/3 हिस्सा दिया गया है। प्रकरण में जहां तक अन्य भाईयों का प्रश्न है, उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं रहे हैं तो उन्हें इस प्रकरण में अनुतोष दिलाये जाने के निराधार आधारों पर अपील की कोई उपादेयता नहीं है। तद्नुसार हम प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 2/4 के द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील का प्रश्न है, उसमें उनके द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 80 बीघा भूमि के सहखातेदार नहीं मानकर मात्र 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि में ही रेस्पोन्डेन्ट का 1/3 हिस्सा माना है, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि सोमा ने जवाबदावे में उसको 22 बीघा एलोट होने को साबित नहीं कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने 80 बीघा में उनका 1/3 हिस्सा नहीं मानकर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार निर्णय नहीं कर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 4 का निर्णय त्रुटि पूर्ण किया है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वादी/क्रोस अपीलकर्ता यह कहकर अधिनस्थ न्यायालय में आये हैं कि 57 बीघा 18 बीघा भूमि गांगजी के समय

की थी तथा 22 बीघा भूमि नोतोड़ निकाली गयी है, परन्तु यह भूमि नोतोड़ गांगजी द्वारा निकाली गयी हो अथवा उनके पूर्वज गांगजी को आवंटित हुई हो, इसे सिद्ध कराने का दायित्व वादी/क्रोस अपीलकर्ता पर था, जिसके समर्थन में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिए 57 बीघा 18 बिस्वा के अलावा शेष 22 बीघा भूमि में वादी/क्रोस अपीलकर्ता का 1/3 हिस्सा माने जाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा इस हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आख्यापक निर्णय में तनकीवार विवेचन करने के बाद समस्त रेकार्ड की विवेचना कर न्याय एवं साम्या के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी/क्रोस अपीलकर्ता को गांगजी की 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा मानते हुए 19 बीघा 6 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। तद्नुसार वादी/क्रोस अपीलकर्ता की क्रोस अपील भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील एवं क्रोस अपीलकर्ता की क्रोस अपील दोनों सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 01–09–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

सोमा के बजाय भीखा पुत्र सोमा डामोर, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य	बनाम	**ज्योति के बजाय धनजी पुत्र ज्योति डामोर, निवासी पियोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**220 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**09**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**.....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रवीण शुक्ला** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री दिनेश चौबीसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट की अपील एवं कोस अपीलकर्ता की कोस अपील दोनों सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 01–09–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।